

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 423)

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर 1995—भाद्र 22, शके 1917

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 1995

क्र. एफ. 14-15-94-एक-13.—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का सं.10) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के संकल्प क्र. एम. 9-12-90-4-एक-असप्र., दिनांक 6 जनवरी, 1992 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन करती है. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।

2.उपर्युक्त आयोग के गठित होने के परिणाम स्वरूप, अतिष्ठित संकल्प के अधीन गठित आयोग कृत्य कराना बन्द कर देगा और उसकी आस्तियां नवगठित आयोग में विलीन हो जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
जे.एल.अजमानी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 1995

क्र. एफ. 14-15-94-एक-13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 1995 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
जे.एल.अजमानी, सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 333)

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 1996—श्रावण 4, शक 1918

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1996

क. एफ. 14-15-94-एक-13.—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का सं.10) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 4 के उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा :-", के स्थान पर शब्द "कोई भी व्यक्ति नियुक्त होने पर—
 - (क) अध्यक्ष, उसी छुट्टी का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है; और
 - (ख) सदस्य, निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा"; स्थापित किए जाएं।
- (2) नियम 5 में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उन्हीं दरों से और उसी मापमान पर और उन्हीं शर्तों पर जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को लागू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे", स्थापित किए जाएं।
- (3) (एक)विद्यमान नियम 7 को उसके उपनियम (2) के रूप में पुनर्कमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्कमांकित उपनियम (2) में शब्द "अध्यक्ष और" का लोप किया जाए;

(दो) इस प्रकार पुनर्कामांकित उपनियम (2) के पूर्व निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) दौरे के दौरान (जिसके अंतर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या आयोग में उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्तों, वैयक्तिक चीज वस्तु के परिवहन के लिए भत्ते, दैनिक भत्ता तथा ऐसी ही अन्य बातों के लिए भत्तों के उन्हीं मापमान और उन्ही दरों से हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय हैं।”

(4) नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“8.सेवा की अन्य शर्तें :- आवास, प्रवहन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित सेवा की शर्तें और ऐसी अन्य सेवा की शर्तें, जो-

(एक) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके अध्यक्ष को लागू होगी, और,

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यप्रदेश सरकार के सचिव को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके सदस्यों को लागू होगी।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बादल के.दास, सचिव

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1996

क. एफ. 14-15-94-एक-13-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बादल के.दास, सचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424)

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर 1995—भाद्र 22, शके 1917

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 1995

क. एफ. 14-15-94-एक-13.—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का सं.10) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्तनाम प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1995 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष.

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का सदस्य.

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग.

(घ) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का सं 10)

(ङ.) उन अन्य सभी शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं.

3. वेतन तथा भत्ते :- (क) अध्यक्ष को उतना वेतन तथा भत्ता संदत्त किया जायेगा जो म0प्र0उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के वेतन तथा भत्ते के बराबर है।

(ख) सदस्य को उतना वेतन तथा भत्ता संदत्त किया जायेगा जो म0प्र0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते के बराबर है।

परन्तु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (अशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है, या उसने ऐसा करने का पात्र होने पर लेने का चयन किया था तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन:—

(एक) उस पेंशन की रकम तक;

(दो) यदि उसने, पद ग्रहण करने से पहले, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन के उस भाग की रकम तक; उसका वेतन।

(तीन) उसके द्वारा लिये या उपयोग किये जा रहे या लिये या उपयोग किये जाने वाले किसी प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदों तक;

घटा दिया जायेगा.

4. छुट्टी:—(1) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा:—

(एक) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये पन्द्रह दिन की दर से उपार्जित छुट्टी.

(दो) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेण्डर वर्ष की बाबत बीस दिन की दर से चिकित्सीय प्रमाण—पत्र पर या निजी काम के लिये अर्द्ध वेतन छुट्टी और छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के आधे के समतुल्य होगा;

(तीन) अध्यक्ष या किसी सदस्य के विवेकानुसार अर्द्ध वेतन छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती है यदि वह अस्वस्थता के आधार पर ली जाती है और किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाण—पत्र द्वारा समर्पित हों;

(चार) एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना अधिकतम एक सौ अस्सी दिन तक की असाधारण छुट्टी.

(2) आयोग मे पदाविध की समाप्ति पर अध्यक्ष और सदस्य इस शर्तों के अधधीन रहते हुए अपने खाते में बकाया उपार्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी वेतन के बराबर नकदी प्राप्त करने के हकदान होंगे कि, यथा स्थिति इस उपनियम के अधीन या पूर्व सेवा निवृत्ति के समय या दोनों को मिलाकर भुलाई गई अधिकतम छुट्टी किसी भी दशा में 240 दिन से अधिक नहीं होगी.

(3) अध्यक्ष और सदस्य आयोग में अपना पद छोड़ने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर उपनियम (2) के अधीन छुट्टी वेतन पर तथा अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु वह ऐसी छुट्टी पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का या किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा.

(4) यदि उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय न्यायाधीन (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 के अध्याय 2 के उपबंध उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में उसकी अधिवार्षिता की तारीख तक उसे लागू होंगे और उसके पश्चात् वह इस नियम के उपनियम (1)से उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा.

5. **छुट्टी यात्रा रियायत:**—अध्यक्ष और सदस्य उन्हीं दरों से और उसी मापमान पर और उन्हीं शर्तों पर, जो म0प्र0 सरकार के सचिव जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, को लागू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है तो, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू नियम उसकी अधिवार्षिता की तारीख तक लागू होंगे और उसके पश्चात् इस नियम के उपबंध लागू होंगे.

6. **छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:**— अध्यक्ष या किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने या उससे इंकार करने और उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहत या कम करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी.

7. **यात्रा भत्ते:**—अध्यक्ष और सदस्य, दौरे के दौरान (जिसके अन्तर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या आयोग से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गयी यात्रा भी है):—

(क) यात्रा भत्तों, वैयक्तिक चीज वस्तु के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के लिए भत्तों के उन्हीं मापमान और उन्हीं दरों पर जो म0प्र0 सरकार के सचिव को लागू हैं;

(ख) दैनिक भत्ते के उन्हीं दरों से हकदार होंगे जो म0प्र0 सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है तो, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, म0प्र0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू नियम उसकी अधिवार्षिता की तारीख तक लागू होंगे और उसके पश्चात् इस नियम के उपलब्ध लागू होंगे.

8. **सेवा की अन्य शर्तें:**—आवास, प्रवहण सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित सेवा-शर्तें और ऐसी अन्य सेवा-शर्तें जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के म0प्र0 सरकार के सचिव को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके अध्यक्ष और सदस्य को लागू होंगे.

9. **साधारण भविष्य निधि में अभिदाय का अधिकार:**— अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा.

10. **अवशिष्ट उपबंध:**— अध्यक्ष और सदस्यों की उन सेवा शर्तों का, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के म0प्र0 सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा अवधारण किया जाएगा.

11. **नियम शिथिल करने की शक्ति:**— राज्य सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के शक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जे.एल.अजवानी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितंबर 1995

क.एफ. 14-15-94-एक-13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर 1995 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जे.एल.अजवानी, सचिव.